(73)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, सागर म.प्र.

निग /3584-II-15

1 रामचरन उर्फ चन्ना बसोर

2. आलम तनय हरदास बसोर

निवासी ग्राम फुटेरचक -1 तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र.

.. निगरानीकर्तागण

// बनाम //

1. चन्ना वल्द ठनुआ अहिरवार

2. मुन्ना वल्द ठनुआ अहिरवार

दोनों निवासी ग्राम फुटेरचक -1 तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र.

.. अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959.

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न प्रार्थना है -

1. यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी सीमांकन आदेश तहसीलदार खरगापुर के रा.प्र.क्र. 153/12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है ।

2. यह कि भूमि ख.नं. 1216 द, 1217 अ, 1216स, रकबा क्रमशः 0.241, 0.806, 0.721 हेक्टेयर भूमि निगरानीकर्तागण के कब्जे में करीबन 40-50 सालों से खेती करके काबिज चले आ रहे है । प्रतिनिगरानीकर्ता/अनावेदक का कभी कभी भी कब्जा नही रहा है ।

3. यह कि राजस्व रिकार्ड में भी निगरानीकर्तागण को सन् 1984-85 से लगातार आज तक निगरानीकर्तागण का कब्जा है और कृषि करते चले आ रहे है ।

2..

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक नि. 3584/II/15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.3.16	प्रकरण में अधिवक्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए और उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। आवेदकपक्ष का तर्क है कि गैरनिगरानीकारगण की मूल भूमि ख.न. 1052 ड, 1594 ग, 1595 ब, 1603 कुल रकबा 2.978 ha की अदला-बदली गोचरमद की भूमि ख.न. 1214 ख, 1214 द, 1216 अ, 1216 ब, 1216 स, 1216 द, 1217 अ कुल रकबा 2.978 ha से की जाने का आदेश कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र.क्र. 33/अ 59/85-86 में दि. 26.10.85 को पारित हुआ जो नामांतरण पंजी में दर्ज हुआ। तदुपरान्त आयुक्त, सागर के अपीलीय प्र.क्र. 358/अ 59/85-86 में पारित आदेश दि. 22.3.88 से कलेक्टर का उक्त आदेश निरस्त हुआ। इसके बावजूद अनावेदकों की अदला-बदली उपरान्त प्राप्त भूमि का उनके आवेदन पर सीमांकन किया गया, और उसमें ख.न. 1217 अ के अंश भाग और 1216 द के पूर्ण भाग पर आवेदकों का कब्जा बता दिया गया जो कि अनुचित है। आवेदक अधिवक्ता ने कलेक्टर एवं आयुक्त के उक्त आदेशों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराई।	

[कृ. प. उ.

R 3584-II/15 ही/कमार16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण में विचाराधीन में तहसीलदार का आक्षेपित सीमांकन आदेश दि. 11.6.15 उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ और निरस्त करता हूँ।	
	साथ ही तहसीलदार खरगापुर को यह निर्देश देता हूँ कि वे पहले न्यायालयीन आदेशों के प्रकाश में संबंधित राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करें और उनके आदेशों के अनुसार कार्यवाहियाँ विधिवत पूर्ण करें। इन कार्यवाहियों के दौरान वे आवश्यकतानुसार अनावेदक को न्यायहित में सुनवाई का अवसर देदें।	
	तदुपरान्त, आवश्यकतानुसार, विधिवत सीमांकन से संबंधित कार्यवाही की जा सकती है।	
	आदेश पारित।	
	प्रकरण समाप्त।	
	पक्षकार एवं तह. खरगापुर सूचित हों।	
	द.दा. हो।	
	सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.